

बनाम

श्रीगणेशाय नमः श्रीदेवप्रसाद ब्राह्मण निवासी-बागोर तहसील-माण्डल [कौश] [पुष्पवर्धित प्राणज-सलज्ज]

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रागूरा अधि. 1956

दिनांक:- 16.5.24

आदेशः

कोशूर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रागूरा अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बागोर पटवार हलका बागोर I तहसील माण्डल ने उसके खाते / संयुक्त खाते की कुल किता 01 रकम 0.7967 हेक्टेयर रिहत है। बादप्रस्त भूमि के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.24 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को पंजीवद्ध से यह बात सिद्ध है कि बादप्रस्त भूमि प्रार्थी एवं तत्काल कारत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का कार्य है। तैसी भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त को आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रागूरा अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रा. बागोर पटवार बागोर तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 775 किता 01 रकम 0.7967 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये हुए पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण बागोर 500 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके च फब्जे मथ्यायति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

सहरीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

